

पत्रांक 247 /2021.

प्रेषक:- जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
खगड़िया।

प्रेषित,  
राज्य आयुक्त निःशक्ता,  
बिहार, पटना।

खगड़िया, दिनांक 29 वीं जनवरी, 2021.

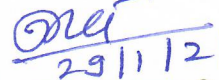
विषय:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 84  
के अन्तर्गत अधिसूचित विशेष न्यायालय की विवरणी के  
संबंध में।

प्रसंग:- पत्रांक 1568/आ0नि0को0 दिनांक 24.01.2021

महाशय,

सरकार के सचिव, विधि विभाग, पटना के अधिसूचना  
ज्ञापांक ए0/एक्ट-07/2017/7369/जे0 पटना, दिनांक 14.10.  
2019 के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के  
अधीन अपराधों के विचारण हेतु खगड़िया न्यायमण्डल के कनीयतम  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री आदित्य सुमन, अपर जिला एवं  
सत्र न्यायाधीश-6, खगड़िया के न्यायालय को विशेष न्यायालय  
के रूप में अभिहित (Designate) कर दिया गया है।

विश्वासभाजन,

  
29/1/21

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
खगड़िया।